(170) (46) (M.44)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर ॥रीवा पीठ ॥

राज. निग. क्र0/ R.2371-II/12 /012

---

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | 2 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES | 2 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

अरूण कुमार दुवे तनय गुरूदत्त दुवे निवासी ग्राम डाढी, तह0 हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

------आवेदक

बनाम्

म0प्र0शासन म

----अनावेदक

अधिवक्ता श्री डी.पी. मिश्रा द्वारा प्रस्तुत
दि. 17-7-12

23.7.12

R.2371-II/12

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अनुविभागीय अधिकारी तह0 हुजूर, जिलारीवा दिनांक 03.01.12 जोप्रकरण क्र0 1-ए-67/2009-10 मे पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

॥01॥ यह कि प्रश्नाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधिविधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के अतिरिक्त अधिकारिता रहित व शून्य है, जिससे प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किएजाने योग्य है ।

॥02॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 247, ॥7॥ के अधीन 2,49,600/- रूपये वसूल करने का आदेश देने मे एक महान् कानूनी भूल की है ।

॥03॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम डाढ़ी, तह0 हुजूर, जिला रीवा स्थितभूमि खसरा क्र0 431/1-क, रकबा 0.08ए0, मे अवैध उत्खनन होना मानने मे एक महान् भूल की है ।

॥04॥

D.P. Mishra adv

निरंतर...

(46)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2371- दो/12 जिला रीवा

अंजनी कुमार दुबे विरूद्ध शासन (म.प्र.)

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री डी. पी. मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-67/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 03-01-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

होना मानने मे एक महान् भूल